

## श्रमिक औजार सहायता योजना

I. योजना के प्रावधान :- इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ट्रेड के लिए औजार की सहायता हेतु राज मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेन्टर, कुली, पेन्टर आदि को मानक/ब्राण्डेड कम्पनियों के उचित गुणवत्ता के औजार किट उपलब्ध कराए जायेंगे।

II. योजना के लिए पात्रता :-

- (1) बोर्ड के निबंधित कर्मकार हो।
- (2) उम्र 18 वर्ष से कम नहीं हो।
- (3) इसके पूर्व किसी योजना के अंतर्गत किसी अन्य ट्रेड के लिए औजार किट प्राप्त नहीं किया हो।

III. श्रमिक औजार सहायता योजनान्तर्गत प्रमण्डलवार प्रगति विवरणी

क्रमांक	प्रमण्डल का नाम	निबंधित लाभुकों की संख्या (अप्रैल 2014 तक)	योजनान्तर्गत वर्षवार प्रगति विवरणी			
			2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (अप्रैल 2014 तक)
1	उपश्रमायुक्त, राँची	48,425	108	474	540	4
2	उपश्रमायुक्त, जमशेदपुर	44,459	172	200	31	-
3	उपश्रमायुक्त, दुमका	35,650	15	183	1631	-
4	उपश्रमायुक्त, हजारीबाग	61,758	91	1955	6288	-
5	उपश्रमायुक्त, बोकारो	38,496	5	110	1088	-
कुल योग		2,28,788	391	2922	9578	4